भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1188
बुधवार,13फरवरी,2019/24माघ,1940 (शक)

लोगों को रोजगार प्रदान किया जाना

1188. श्री अहमद अशफाक करीमः

क्याश्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014 से2018 के दौरान लाखों लोगों को रोजगार देने काआश्वासन दिया था, यदि हां, तो इस आश्वासन केपरिप्रेक्ष्य में अब तक कितने जरूरतमंद लोगों कोरोजगार प्रदान किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्याहै; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित किए गए वार्षिक सर्वेक्षणों के उपलब्ध परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति (यूपीएसएस) दृष्टिकोण के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2012-13 में 51.0%, 2013-14 में 53.7% एवं 2015-16 में 50.5% था।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश मेंरोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालितपं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने श्रम-बहुल विनिर्माण को रणनीतिक रूप से बढ़ावा देने एवं पर्यटन तथा कृषि-आधारित उद्योगों के संवर्धन द्वारा रोजगार अवसरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक कागैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 25 जनवरी, 2019 तक इस योजना के तहत कुल 15.59करोड़ ऋणों को संस्वीकृत किया गया है।

श्रमऔररोजगारमंत्रालयनेवर्ष 2016-17 मेंनियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार,सभीक्षेत्रोंकेसमस्तपात्रनएकर्मचारियोंहेतुउनके पंजीकरण की तारीख से ईपीएस एवंईपीएफकेनियोक्ताओंकेसंपूर्णअंशदान (12% अथवायथा-स्वीकार्य) काभुगतान 01.04.2018 से अगले 3 वर्षों के लिएकर रही है। 4 फरवरी, 2019 तक 1.06 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए वाले 1.31 लाख प्रतिष्ठानों को लाभांवित किया गया है।

अनुबंध

लोगों को रोजगार प्रदान किए जाएके संबंध में राज्य सभा के दिनांक 13.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1188 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजितरोजगार

सृजित रोजगार					
योजनाएं/वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	357502	323362	407840	387184	311976 (31.12.2018तक)
प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थी(डीडीयू-जीकेवाई)(व्यक्तियों की संख्या)	54196	109512	147883	75787	119331 (जन., 2019तक)
कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का नियोजन डीएवाई-एनयूएलएम(व्यक्तियों की संख्या)	63115	33664	151901	115416	107750 (23.01.2019तक)